कार्यालयः—जिला कार्यक्रम अधिकारी, कानपुर देहात।

पत्रांक C-1004 / जि0का0अ0 / आ0बा0कार्य0चयन विज्ञप्ति / 2025–26 / दिनाँक 27 नवम्बर, 2025

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या— / 2025 / 3313 / 58–1–2025–(1917687) बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग, लखनऊ दिनांक 17 सितम्बर 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद कानपुर देहात के शहरी / ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में ऑगनबाड़ी कार्यकत्री के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रकिया के तहत विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। रिक्त पदों पर वार्डवार / परियोजनावार विवरण निम्नवत् है :—

क0सं0	परियोजना का नाम	कुल पदों की संख्या	परियोजनाका प्रकार	ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों की आरक्षणवार स्थिति				कुल योग
				अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
1	डेरापुर	2	ग्रामीण / शहरी	0	0	0	2	2
2	मैथा	1	ग्रामीण / शहरी	1	0	0	0	1
3	झीझक	1	ग्रामीण / शहरी	0	0	0	1	1
4	शहर स्लम	3	ग्रामीण / शहरी	1	0	2	0	3
5	रसूलाबाद	1	ग्रामीण / शहरी	0	1	0	0	1
योग—		8	—	2	1	2	3	8

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा / वार्डवार विवरण आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, नगर पालिका, नगर पंचायतों, तहसील एवं समस्त बाल विकास परियोजना / विकास खण्डों के कार्यालयें के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गयी है, साथ ही विभागीय वेबसाइट https://upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन अपलोड है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश :—

01. विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगें।
02. ऑगनवाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पदों हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष एवं अधिकतम योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।
03. आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड (शहरी क्षेत्र) एवं ग्राम सभा (ग्रामीण क्षेत्र) का निवासी होना अनिवार्य है।
04. आवेदिका की आयु निर्धारित कट ऑफ तिथि 01 जुलाई 2025 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना हाईस्कूल के अंकपत्र / प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि के आधार पर की जायेगी।
05. विज्ञापित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट https://upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन ही निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार्य होगें। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य / स्वीकार नहीं किये जायेगें।
06. आवेदिका द्वारा अभिलेखों का स्वहस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जाएगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया है।
07. ग्राम सभा / वार्ड से विधवा / तलाकशुदा / परित्यक्ता को शासनादेश में वर्णित नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार वरीयता दी जायेगी।
08. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी / नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण—पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी।
09. तलाकशुदा / परित्यक्ता के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश ही मान्य होंगे।
10. आय प्रमाण—पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग—9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959 / 1–9–11–राज0–9 दिनॉक 30.09.2011 (यथासंशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगें। जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
11. गरीबी रेखा की आय सीमा का पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग—2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 22 / 2015 / 2123 / 26–2–2015 दिनॉक 14 सितम्बर, 2015 (यथासंशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।
12. निवास व जाति प्रमाण—पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण—पत्र ही मान्य होगें, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
13. विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 17.12.2025 मध्य रात्रि 12:00 बजे तक होगी।
14. उपरोक्त विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रकिया सहित विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट https://upanganwadibharti.in पर उपलब्ध है। साथ ही जानकारी हेतु सम्बन्धित विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी, कक्ष संख्या—206, विकास भवन, माती मुख्यालय कानपुर देहात से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

27/11/25

(डा0 आर0बी0सिंह)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
कानपुर देहात।

Contd--2

पृष्ठांकन संख्या/ C-1004 /दिनांक–उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
01. निदेशक महोदय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ।
02. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
03. मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर देहात।
04. जिला सूचना अधिकारी, कानपुर देहात को इस अनुरोध के साथ कि जनपद कानपुर देहात के सम्बन्धित बाल विकास परियोजनावार रिक्त आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों के पदों की विज्ञप्ति अपने स्तर से प्रकाशित करानें का कष्ट करें।
05. सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी, कानपुर देहात को इस निर्देश के साथ कि वह उपरोक्त विज्ञप्ति तहसील, विकास खण्ड, सी0एच0सी0 तथा अपने कार्यालय में चस्पा करें तथा व्यापक प्रचार–प्रसार करें।
06. सम्पादक महोदय, दैनिक समाचार पत्र–हिन्दुस्तान एवं नागराज दर्पण को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति शासकीय दरों पर प्रकाशित करते हुए जिला सूचना अधिकारी, कानपुर देहात से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए बिल 03 प्रतियों में मय प्रकाशित समाचार पत्र सहित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध करानें का कष्ट करें। ताकि बिल के भुगतान की अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

2/11/25
जिला कार्यक्रम अधिकारी
कानपुर देहात।